न्यूज ब्रीफ

धारदार हथियार से हमला करने वाले को जेल

मंडला। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी मंडला निखिल सिंघई द्वारा आरोपी बद्रीनाथ पिता गोविंद सिंगौर(30) निवासी ग्राम बिचुआ थाना बम्हनी, को छः माह के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मीडिया सेल प्रभारी मंडला द्वारा बताया गया कि 21 जून 2018 को सुबह 06.30 बजे के लगभग ग्राम बिचुआ में फरियादी घनश्याम धान बौनी के लिए ट्रैक्टर ढूंढने रामकुमार सिंगौर के घर गया था। वापस आते समय रामकुमार सिंगौर के घर के सामने रोड पर आरोपी बद्रीनाथ सिंगौर ने उसे जमीन बाड़ी की बात को लेकर गालियां दी और हाथ में रखे हंसिया से फरियादी पर हमला कर दिया। इससे फरियादी को हाथ में चोट आई। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना बम्हनी में कराई गई।

अंधेकत्ल के मामले में आरोपी गिरफ्तार

आलीराजपुर। जिले में एक अंधेकत्ल की मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कटिठवाडा थाना क्षेत्र के ग्राम पनाला में 7 फरवरी को राघु की हुई कत्ल के मामले में मोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी मोनी ने रघु की हत्याकर पुलिस को गुमराह करने के लिए रिपोर्ट दर्ज की थी।

राशि गबन की लोकायुक्त के समक्ष करो शिकायत

जबलपुर। रीवा जिले की मऊगंज तहसील अंतर्गत ग्राम उधापुरवा में सरपंच और रोजगार सहायक द्वारा विकास कार्य व वृक्षारोपण के नाम पर राशि गबन किए जाने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निराकरण कर दिया। चीफ जस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले में आवेदक को स्वतंत्रता दी है वह उक्त मामले की शिकायत लोकायुक्त के समक्ष करे, जिस सक्षम अथॉरिटी विधि अनुसार कार्रवाई करेगी। यह जनहित का मामला रीवा मऊगंज के ग्राम उधापुरवा निवासी सुरेन्द्र प्रसाद पांडे की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायत उधापुरवा में वृक्षारोपण सहित अन्य विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत करायी गई।

सफाईमित्र नागर का रहवासियों ने किया सम्मान

देपालपुर। नगर परिषद के डोर टू डोर कचरा उठाने वाले सफाई मित्र वाहन चालक जीवन नागर का शॉल-श्रीफल भेंट कर मोहल्लेवासियों द्वारा सम्मान किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नागर द्वारा नियमित समय पर कचरा कलेक्शन डोर टू डोर किया जाता है। इन्हीं ईमानदार लोगों की वजह से नगर साफ रहता है। देखा जाए तो नगर साफ-सफाई का पुरस्कार भी इन्हें ही दिया जाना चाहिए, इसलिए उन्हें सारस्वत प्रदान कर शॉल-श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस दौरान संजय चौहान, रामेश्वर नकुम, डमी खान, नन्नू भाई आदि मौजूद हुए।

श्री वासुदेव चंद्रवंशी यादव समाज ने किए सेवाभावी कार्य

महू। श्री वासुदेव चंद्रवंशी यादव समाज संगठन मध्यप्रदेश एवं सामाजिक संस्था प्रज्ञा सागर पूर्व संघ द्वारा विभिन्न जगह सेवाभावी कार्य किए गए। इस दौरान राधाकृष्ण गोशाला पर गायों की सेवा गोसेवक मदनलाल का सम्मान शॉल-श्रीफल भेंटकर किया गया, वहीं महू उप जेल पर जेलर बृजेश मकवाना एवं जेल स्टॉफ की उपस्थिति में तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। जेल में बंद कैदियों को ज्ञानवर्द्धक पुस्तकें बांटने एवं जेल परिसर में बगीचा बनाने, बंद कैदियों से मिलने वाले उनके परिजन के लिए बाहर बैठने की व्यवस्था आदि में संस्था सहयोग करेगी... ऐसी चर्चा जेलर मकवाना से की गई। इस अवसर पर मदन मालिया यादव, राजकुमार वरुण यादव, संजय जयंत यादव, आनंद यादव, प्रदीप निम, विजय कदम आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन आयोजक जगमोहन सोन ने किया।

एसडीएम रविकुमार सिंह ने लगवाया कोरोना टीका

देपालपुर। एसडीएम रविकुमार सिंह ने देपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर कोरोना का टीका लगवाया।

पुलिस व जिला प्रशासन ने रेत माफिया के खिलाफ की कार्रवाई

40 डंपर अवैध रेत बरामद, पांच आरोपी गिरफ्तार, वाहन जब्त

पीपुल्स ब्यूरो • ग्वालियर

मो.नं. 7000535960

प्रदेश शासन की मंशा पर जिले में भी एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 30-40 डंपर रेत डंप कर-के रखी गई अवैध रेत सहित करीब एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के वाहन जब्त किए गए हैं। इस दौरान मौके से पांच आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

महाराजपुरा सर्किल सीएसपी रवि भदौरिया को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई, कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर के पीछे कुछ लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में रेत डंप करके उसका कारोबार किया जा रहा है। इस पर श्री भदौरिया ने जिला प्रशासन के अफसरों को इसकी जानकारी दी, तथा एडीएम रिंकेश वैश्य, खनिज निरीक्षक दीपक सक्सेना, नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर एपीएस जादौन, महाराजपुरा टीआई मिर्जा आसिफ बेग एवं थाने के बल के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बताए गए स्थान पर दबिश दी, तो वहां करीब 30-40 डंपर रेत के ढेर लगे होने के साथ ही रेत भरते वाहन मिले।

टीम द्वारा डंप रेत को जब्त करने के साथ ही मौके से एक लोडर, एक हिटैची मशीन व चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को बरामद किया गया है, जिनकी कुल कीमत करीब एक करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ महाराजपुरा थाने में प्रकरण दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है।

चंबल रेत भी मिली

पुलिस व प्रशासनिक अमले द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान चंबल की प्रतिबंधित रेत भी डंप हुई मिली है, जो कि अभ्यारण्य क्षेत्र से खनन की गई है।

टीम को देख अफरा-तफरी

पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम जब कार्रवाई करने पहुंची, तो उसे देखकर क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। पहले तो लोगों को यह समझ ही नहीं आया, कि आखिर इतनी फोर्स यहां आई क्यों है, लेकिन जब टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की, तो लोगों को समझते देर नहीं लगी, कि माजरा क्या है।

एक करोड़ मूल्य के वाहन

अवैध रूप से रेत का कारोबार किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर प्रशासनिक अफसरों को साथ लेकर कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़ी मात्रा रेत के साथ ही करीब एक करोड़ रुपए मूल्य के वाहन जब्त हुए हैं, मौके से पांच आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं।

रवि भदौरिया सीएसपी, महाराजपुरा सर्किल

सोते समय युवक की गर्दन काटकर की हत्या, 3 गिरफ्तार

बालाघाट। मेनबिरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मछुरदा में 6 फरवरी को श्यामसिंह मरकाम पिता चैतू मरकाम 26 वर्ष की अज्ञात लोगों ने सोते समय गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में मृतक द्वारा अपनी बहन की शादी आरोपी से न करना उसकी हत्या की मुख्य वजह बना। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार जब्त कर लिया है, साथ ही एक फरार आरोपी की तलाश भी कर रही है। अवधेश भदौरिया, टीआई बिरसा ने बताया कि, अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसपी अभिषेक तिवारी के निर्देशन में गठित टीम ने बैहर एएसपी श्याम कुमार मरावी के मार्गदर्शन में मामले की तहकीकात करते हुए घटना स्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। जिसके बाद जब पुलिस ने तकनीकी पहलुओं से केस को इन्वेस्टीगेट किया तो वारदात की कहानी में रिश्तों को लेकर दो साल पुरानी रंजिश सामने आई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दो वर्ष पूर्व गांव के बीहर सिंह धुर्वे ने अपने बेटे शिवराम के लिए मृतक श्यामसिंह मरकाम की बहन का रिश्ता मांगा था। जिस पर मृतक श्यामसिंह ने मंगनी के बाद अपनी बहन का रिश्ता बीहर सिंह के लड़के से करने से मना कर दिया था।

आखिर अस्पताल संचालक को हटाना पड़ी दीवार की मेट

शुक्रवार शाम को संचालक ने मेट हटा दिया, जिससे औषधि केंद्र साफ नजर आने लगा।

पीपुल्स संवाददाता • देपालपुर

मो.नं. 9827358777

पीपुल्स समाचार **खबर का असर**

देपालपुर में बीते दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के साइड में निजी अस्पताल संचालक द्वारा ग्रीन मेट लगा दी गई थी, जिससे औषधि केंद्र नजर नहीं आने से मरीज के परिजन दवा केंद्र तक पहुंच नहीं पाते थे। पीपुल्स समाचार ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो नप प्रशासन हकरत में आया और अधिकारियों ने सक्रियता दिखाई। अस्पताल संचालक को समझाइश देकर मेट हटाने को कहा। आखिर शुक्रवार शाम को अस्पताल संचालक द्वारा मेट निकाली गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र साफ नजर आने लगा।

मनेरी के स्टील प्लांट में बायलर में विस्फोट, एक की मौत, छह घायल

मंडला: आधी रात को हुआ हादसा, दो की मजदूरों की हालत गंभीर

पीपुल्स ब्यूरो • जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

पड़ोसी जिला मंडला की सरदह से लगे मनेरी स्थित स्टील प्लांट गुरुवार-शुक्रवार की रात बायलर में विस्फोट हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि छह को जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में भूमिका स्टील प्लांट में गुरुवार-शुक्रवार की रात करीब 1.30 बजे बायलर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक मजदूर अवधेश उर्फ पिंटू पटैल, निवासी ग्राम डुंडी की मौत हो गई। जबकि छह मजदूर घायल हो गए। इनमें मजदूर शिवकुमार और आकाश की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मनेरी में पुनीत बंसल का भूमिका स्टील प्लांट है। जहां पर लोहा को पिघलाकर सरिया बनाने का काम किया जाता है। प्लांट में अलग-अलग शिफ्ट में 24 घंटे काम चलता है। गुरुवार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच भट्टी (बॉयलर) में अचानक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया।

ये मजदूर हुए घायल

जानकारी के अनुसार, हादसे में शिवकुमार मरावी (60), रमेश प्रजापति (20), बृजेश प्रजापति (30), प्रमोद पटेल (30), लाला प्रजापति (25), आकाश कुमार साकेत (25), घायल हो गए। घायलों को जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बंद रास्तों को लेकर स्टेशन हेडक्वार्टर और छावनी परिषद को नोटिस जारी

पक्षकार ने संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का लगाया आरोप

पीपुल्स संवाददाता • महू

मो.नं. 7803921425

आर्मी द्वारा बंद किए गए आम रास्ते।

महू केंट बोर्ड क्षेत्र के आर्मी क्षेत्र के बंद आम रास्तों को लेकर स्टेशन हेडक्वार्टर और केंट बोर्ड महू को नोटिस जारी किया गया है। वरिष्ठ अभिभाषक मजीद दरबारी ने अपने पक्षकार दिनेश सोलंकी की ओर से महू के आम नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाते हुए स्टेशन कमाण्डर, एडम कमाण्डेंट और छावनी परिषद को नोटिस देकर कहा है कि यदि महू में बंद पड़े आम रास्तों को 15 दिवस में नहीं खोला गया तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि महू में लॉक डाउन के बाद से ही माल रोड से लगे पांच आम रास्तों को और तेलीखेड़ा पहुंच मार्ग को सेना ने बंद कर दिया है, जबकि कुछ माह पूर्व स्वर्ग मंदिर के दोनों ओर के रास्ते भी बंद किए जा चुके हैं। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से पुनीत शर्मा और जनता कांग्रेस की ओर से अमित वर्मा ने भी ध्यानाकर्षण कराते हुए जनहित में उक्त सभी मार्ग खोलने की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी दी जा चुकी है। इस मामले में समाचार-पत्र के विभिन्न अंकों में भी समाचार प्रकाशित किए गए थे, जबकि छावनी परिषद ने यह आश्वस्त किया था कि वे बंद रास्तों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद आम रास्ते आज तक नहीं खोले जा सके हैं।

नहीं किया जा सकता आम रास्ता बंद

नोटिस में बताया गया कि ऐसा करना आम नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना है, जबकि छावनी में कोई भी आम रास्ता बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये छावनी परिषद की सम्पत्ति है, जिनके रखरखाव एवं व्यवस्था का दायित्व भी परिषद पर है।

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कार्यालय संख्या 201-बी, दूसरी मंजिल, रोड नंबर 1 प्लॉट नंबर-बी 3, वाईफाई आईटी पार्क, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र- 400604

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को मांग सूचनाएं निर्गमित की थी जिसमें उक्त सूचना के प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि को प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे है अतएव एतद् द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर दाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को सम्पत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ खाता क्र.	सम्पति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	याकूब खान, इरफान खान और डीएमबी डेवलपर्स- LBIND00002037556 & LBIND00002037557	प्लॉट नंबर 56, खसरा नंबर 26/7 कल्पवृक्ष केएच नंबर 4-1, 4-2, 4-5, 5-1, 5-2, 5-5, ग्राम कोलार, पीएच नंबर 124/5, आरआईसी, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर - 493661/ फरवरी 10, 2021	अक्टूबर 10, 2017/ ₹ 48,77,211.00/-	इंदौर

उपरोक्त दर्शाये गये कर्जदार/सह-कर्जदार एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 सुरक्षित ब्याज 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक: फरवरी 12, 2021
स्थान: इंदौर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

HDB FINANCIAL SERVICES एचडीबी फायनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: राधिका, द्वितीय मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिनकोड-380009

शाखा कार्यालय: 307-308, मनी ट्रेड सेन्टर, फ्रीगंज, माधव नगर, उज्जैन, मध्यप्रदेश -456010

आधिपत्य सूचना

जबकि, एचडीबी फायनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (2002 का 54) का प्रवर्तन और धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, नियम 3 के नियमों के साथ पढ़ें सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने उधारकर्ता/ओं को यहां विस्तृत रूप से मांग सूचना जारी किया, संबंधित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना में उल्लिखित राशि को सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि उसी की प्राप्ति की तारीख से चुकाने का आह्वान किया गया। उक्त उधारकर्ताओं/सह उधारकर्ताओं ने राशि चुकाने में विफल होने के बाद, सूचना इसके द्वारा उधारकर्ताओं/ सह उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को दिया जाता है कि धारा 13 (4) के तहत उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोहस्ताक्षरी को नोटिस दिया गया उक्त नियमों के नियम 8 लिखा/पढ़ा के नियम के साथ-साथ उल्लिखित तिथि पर उक्त अधिनियम के यहाँ वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक अधिकार है। विशेष रूप से और सार्वजनिक रूप से उधार लेने वालों को इस बात से आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार, सीमित ब्याज के साथ एचडीबी फायनेंशियल सर्विसेस के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें भविष्य में ब्याज, लागत और शुल्क से संबंधित राशि शामिल है संबंधित तारीख।

ऋण खाता संख्या के साथ अनुसूचित संपत्ति के तहत उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का विवरण, यूआईसी नं. बकाया राशि, मांग सूचना की तिथि और कब्जे की जानकारी नीचे दी गई है।

(1) उधारकर्ता, सह-उधारकर्ताओं/जमानतदारों नाम एवं पता (2) ऋण खाता संख्या (3) स्वीकृत ऋण राशि (4) प्रतिभूतियों का विवरण (5) मांग पत्र दिनांक (6) दावा राशि रुपये में (7) आधिपत्य दिनांक

हिन्द बेकरी (आवेदक/उधारकर्ता) एवं **मोहम्मद इरफान, अन्जूमन बी** (सह-आवेदक/सह-उधारकर्ता) सभी निवासी-2880/1/1, गंभीर रोड मुल्लापुरा उज्जैन-456001, 13/2 गोनसा दरवाजा वीर दुर्गा दास मार्ग उज्जैन-456001 **2. ऋण खाता संख्या**-3608144 **3. स्वीकृत ऋण राशि** - 10000000(एक करोड़ रुपये मात्र) **4. प्रतिभूतियों का विवरण**-भूमि सर्वे नं. 2880/1/1 कस्बा बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन-456001 स्थित संपत्ति के सभी भाग एवं टुकड़े जिसका एडमेजरिंग 0.121 हेक्टेयर है। **5. मांग पत्र दिनांक**-21.10.2020 **6. दावा राशि रुपये में**- 10,919,668.15 (रुपये एक करोड़ नौ लाख उन्नीस हजार छह सौ अड़सठ एवं पन्द्रह पैसे मात्र) 21.10.2020 से वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य के संविदात्मक ब्याज के साथ 21-10-2020 के रूप में ऋण खाता संख्या 3608144 से संबंधित है। **7. आधिपत्य दिनांक**: 10.02.2021

1. उधारकर्ताओं का ध्यान इस अधिनियम के उपखंड (8) के अधिनियम, 13 के अधिनियम के प्रावधानों को प्राप्त करने में सक्षम है, जो समय-समय पर उपलब्ध है, सुरक्षित संपत्ति को पुन: प्राप्त करने के लिए।

2. किसी भी आपत्ति और निपटान के लिए कृपया संपर्क करें - श्री गिर्राज पाराशर: संपर्क नं. 7600009388 (क्षेत्रीय संग्रह प्रबंधक) एवं श्री अजय शर्मा: संपर्क नं.: 9755007171 (क्षेत्र संग्रह प्रबंधक) एचडीबी फायनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड, भाग 102 एवं 103, स्टर्लिंग सेन्टर, प्लाट 15/3, रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452001

दिनांक:-13-02-2021
स्थान-उज्जैन

हस्ते/-वास्ते एचडीबी फायनेंशियल सर्विससेट लिमिटेड
अधिकृत अधिकारी

PEOPLE'S UNIVERSITY

(Established by M.P. Act No. 18 of 2011 & approved u/s 2 (f) of UGC act 1956)

Limited Seats **ADMISSION OPEN - PARAMEDICAL**

MPT	Masters of Physiotherapy - (Ortho'/ Neuro'/ Cardio' & Sports) 2 yrs PG Degree Program, Eligibility : BPT	
BPT	Bachelor of Physiotherapy*	4½ yrs Degree Course
BMLT	Bachelor of Medical Lab Technology*	3 yrs Degree Course
DMLT	Diploma in Medical Lab Technology*	2 yrs Diploma Course
DDT	Diploma in Dialysis Technology*	2 yrs Diploma Course

*Eligibility : 12th with Physics, Chemistry & Biology

Limited Seats **NURSING**

M.Sc. Nursing	Med Surg. / Psychiatric/ Obg & Gyn/ Paediatric Community Health. Duration - 2 Years , Eligibility : B. Sc.(N)/P.B.B.Sc.(N) with 1yr exp.
G.N.M. Nursing (Diploma)	Duration - 3 Years , Eligibility: 10+2 with 40% marks (Course under M.P. Nurses Registration Council, Bhopal)

www.peoplesuniversity.edu.in

1800 120 800 005, 098262 44676
People's Campus, Bhanpur, Bhopal (M.P.)

With Special Arrangement

(राजनीतिक, प्रशासनिक व कॉर्पोरेट जगत की अंदरूनी खबरें)

POLITICS

Farmers are not MLAs !

A joke is currently doing the round that Farmers are not purchasable. Had farmers been MLAs they would have been sold .Since farmers are sitting around Delhi they are not purchasable.

BUREAUCRACY

33 IAS officers of 1989 batch empanelled Secretary/Secy equivalent posts in GoI

As many as 33 IAS officers of 1989 batch have been empanelled for holding Secretary and Secretary equivalent posts in Government of India.

Rajesh Khullar empanelled as Secretary in GoI

Rajesh Khullar has been empanelled for holding Secretary and Secretary equivalent posts in Government of India. He is a 1988 batch IAS officer of Haryana cadre.

Gyanesh Kumar empanelled as Secretary in GoI

Gyanesh Kumar

Gyanesh Kumar has been empanelled for holding Secretary and Secretary equivalent posts in Government of India. He is a 1988 batch IAS officer of Kerala cadre.

E V Ramana Reddy empanelled as Secretary in GoI

E V Ramana

E V Ramana Reddy has been empanelled for holding Secretary and Secretary equivalent posts in Government of India. He is a 1988 batch IAS officer of Karnataka cadre.

Sameer Kumar Khare empanelled as Secretary in GoI

Sameer Kumar Khare has been empanelled for holding Secretary and Secretary equivalent posts in Government of India. He is a 1989 batch IAS officer of Assam-Meghalaya cadre.

Sunil Barthwal empanelled as Secretary in GoI

Sunil Barthwal has been empanelled for holding Secretary and Secretary equivalent posts in Government of India. He is a 1989 batch IAS officer of Bihar cadre.

Amitabh Jain empanelled as Secretary in GoI

Amitabh Jain has been empanelled for holding Secretary and Secretary equivalent posts in Government of India. He is a 1989 batch IAS officer of Chhattisgarh cadre.

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SPACE REALCON INDIA PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of the corporate debtor	Space Realcon India Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	12.01.2010
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC-Gwalior
4.	Corporate identity number/limited liability identification number of corporate debtor	U70101MP2010PTC022922
5.	Address of the registered office and principal office (if any)of corporate debtor	Registered office-63,Ada Bazar, Indore, Madhya Pradesh-452007 Principal office :G-2, Jaora Tower, 22/2, Manoramaganj, Indore, Madhya Pradesh-452001
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	08.02.2021(Copy of the Corporate Insolvency Resolution Process order received by IRP on 11.02.2021)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	07.08.2021
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Vichitra Narayan Pathak Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01353/ 2018-2019/12063
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	120, Jharneshwar Colony,Madhuban Vihar, Near International Public School Hoshangabad Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462047 E-mail id: drvnpathak@yahoo.co.in
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	8/28, 3rd Floor, WEA, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 E-mail: cirp.space@avmresolution.com **Dedicated Email Id for submission of claim for Home Buyers/Financial Creditors** cirp.homebuyer.space@avmresolution.com https://marketclear.in/#/spacerealconcirp or through CIRP website: http://spacerealconcirp.in/ **For Other Claimants Email Id:** cirp.space@avmresolution.com
11.	Last date for submission of claims	25.02.2021
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	Home Buyers under the Real Estate Project (Financial Creditors) of the Corporate Debtor
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. JeenaAgrawal (IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00879/2017-18/ 11476) 2. Sajjan Kumar Dokania (IBBI Reg. No: IBBI/IPA-003/IP-N000150/ 2017-2018/11729) 3. Rahul Anand (IBBI Reg. No: IBBI/IPA-003/IP-N00016/2018-19/ 11955)
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Weblink: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address: 8/28, 3rd Floor, WEA, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Indore Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of **the Space Realcon India Private Limited on 08.02.2021.**

The creditors of **Space Realcon India Private Limited** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **25.02.2021** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class Home Buyers in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Vichitra Narayan Pathak
Interim Resolution Professional
Of Space Realcon India Private Limited
Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01353/2018-2019/12063

Place: Bhopal
Date:12-02-2021